



Neutral Citation No - 2026:AHC:23854

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ब संख्या - 2026 की 446

रामजीत

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अंजलि, प्रमोद कुमार सिंह
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोष हेतु दाखिल की गई है:-

"A. प्रतिवादी संख्या 2 को यह समादेशित करते हुए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 48(3) के अन्तर्गत पुनः स्मरण आवेदन वाद संख्या RST/3011/2024, संगणकीकृत वाद संख्या 202454156000003011 (राज्य बनाम रामनारायण एवं अन्य), जो वाद संख्या 952/1999 से उद्भूत होकर चकबंदी अधिकारी, आजमगढ़, जिला आजमगढ़ के न्यायालय के समक्ष लंबित है, को इस माननीय न्यायालय द्वारा नियत अवधि के भीतर विनिर्णीत करें।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है यदि उक्त वाद को शीघ्रातिशीघ्र विनिर्णीत करने हेतु निर्देश जारी किया जाए।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, इस विषय को लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित प्रकरण के गुणागुण पर कोई प्रेक्षण किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिमता से निस्तारित करना उचित समझता है, एवं प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त वाद को विधि के अनुसार सकारण आदेश के माध्यम से, सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, शीघ्रातिशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुतीकरण की तिथि से दस माह की अवधि के भीतर, विनिर्णीत करें।

5. उपर्युक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिमता से निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4 फरवरी, 2026

वी.के.जी.

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"